तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/24	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है - प्रार्थीगण जगन्नाथ, हीरालाल उर्फ मन्नालाल पुत्र गोपाल द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LRAct इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रामराजपुरा में प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के भाई सूरजमल व केसरीलाल की सेटलमेन्ट पूर्व आराजी नं 276 रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा मौजूद थी। दौरान सेटलमेन्ट उपरोक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 614 डालकर उसका रकबा 4.51 He. दर्ज कर दिया गया। जो कि मात्र 28 बीघा 4 बिस्वा के बराबर होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण के खाते में लगभग 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम दर्ज कर दी गई है। अतः प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के खाते की आराजी पुराना खसरा नम्बर 31 बीघा 14 बिस्वा	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज
	के मैट्रिक प्रणाली अनुसार 5.07 Hct दर्ज किया जाकर नक्शा दुरुस्त करने आदेश प्रदान किया जावे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ नक्शा संवत 2013-14, मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 जमाबन्दी संवत 2038-57, जमाबन्दी संवत 2016-24, जमाबन्दी संवत 2073 वर्तमान नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी संवत 2 संलग्न किये गए हैं। प्रार्थनापत्र दर्ज कर अराजी तहसीलदार लाडपुरा से प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया गया है कि - 1/- जमाबन्दी संवत 2030-33 ग्राम रामराजपुरा अनुसार क्र.स. बन्दोबस्त ख.न. 276 मि. रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा आराजी जगन्नाथ, सूरजमल, केसरीलाल हीरालाल पिसरान गोपाल कौम धाकड़ साकिन [illegible]पुरा के नाम दर्ज रिकार्ड था। 2/- मिलान क्षेत्रफल संवत 2038-57 अनुसार गत खसरा न. 276 मि. का नवीन
	कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किया हुक्म की तामील में जारी हुए
नम्बर 614 रकबा 4.51 Hct बनाया गया है। 3/- सेटलमेन्ट जमाबन्दी संवत 2038-57 के अनुसार ख.न. 614 रकबा 4.51 Hct जगन्नाथ, सूरजमल, हीरालाल, केसरीलाल पिसरान गोपाल के नाम दर्ज हुआ। 4/- मुताबिक मिलान क्षेत्रफल 276 मि रकबा 31 बीघा 19 बिस्वा का वर्तमान में ख.न. 614 रकबा 4.51 Hct दर्ज हुआ है, जबकि 4.51 Hct के स्थान पर 5.07 Hct दर्ज होना चाहिए था। क्योंकि 31 बीघा 19 बिस्वा का 5.07 Hct ही बनता है। 5/- प्रार्थी ख.न. 614 में ही रकबा वृद्धि कराना चाहता है। प्रार्थी ख.न. 614 का रकबा 4.51 Hct के स्थान पर 5.07 Hct कराना चाहता है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की सेटलमेन्ट पूर्व आराजी 31 बीघा 19 बिस्वा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स आज
	के दौरान सेटलमेन्ट नया रकबा बनाया गया है, जबकि मैट्रिक ... अनुसार 31 बीघा 19 बिस्वा के 5.. बनते है, जिसे अप्रार्थी तहसीलदार ... द्वारा भी स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार कर सेटलमे... द्वारा कारित त्रुटि को दुरुस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण का रकबा 4.51 हे० के स्थान पर 5.07 हे० दर्ज किया जावे तथा तदानुसार नक्शा दुरुस्त किया जावे। हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया। हमने धारा 136 LR. ACT से ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया। धारा 136 LR ACT-1956 अनुसार - भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, रजिस्टर में की गई त्रुटि को ठीक कर सकता है, यह त्रुटि लिपिकीय हो सकती है या अधिकारी से हुई हो सकती है, इसके लिए हितबद्ध पक्षकारों को

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील मे जारी हुए
सहमति होनी चाहिए या संबंधित अधिकारी को किसी रजिस्टर के निरीक्षण के दौरान त्रुटि नोटिस होनी चाहिए। धारा 136 के तहत भूमि अभिलेख अधिकारी को प्रविष्टि में सुधार से जुड़े विवादों का निर्णय करने का अधिकार है यानि निपटान या सर्वेक्षण के दौरान रिकार्ड में हुई त्रुटियों को ठीक करने का अधिकार भी भूमि अभिलेख अधिकारी के पास होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में हमने पत्रावली में संलग्न सम्पूर्ण रिकार्ड का गहन विश्लेषण किया। तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार आती है- 1/ जमाबन्दी संवत् 2030-33 से यह प्रमाणित है कि ग्राम रामरामपुरा की आराजी ख.न. 276 मि. रकबा 31 बीघा 14 बिस्वा जगन्नाथ, सूरजमल, केसरीलाल, हीरालाल पिसरान गोपाल कौम धाकड़ साकिन भीमपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड थी। 2/ तहसीलदार रिपोर्ट में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि 31 बीघा 14 बिस्वा के मैट्रिक प्रणाली में 5.07 H.S बनते हैं।	

न्यायालय उपखण्ड ... कोटा

उपखण्ड अधिकारी

3/ प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार 276 मि. का नया नम्बर 614 बनाया गया है, तथा प्रार्थीगण का रकबा 5.07 Hect के स्थान पर 4.51 Hect दर्ज कर दिया गया है। लेकिन कम किया गया रकबा किस खसरा नम्बर में बढ़ाया गया, इस बाबत ना तो प्रार्थीगण द्वारा कोई उल्लेख किया गया है और ना ही तहसीलदार रिपोर्ट में इस बाबत कोई टिप्पणी की गई है।

जबकि दूसरी तरफ पत्रावली में संलग्न ग्राम रामरामपुरा के मिलान क्षेत्रफल के पेज से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि अन्य कई भिन्न नम्बरों के साथ खसरा नम्बर 276 मि. को शामिल कर नवीन खसरा नम्बर 646 रकबा 2.05 Hect भी बनाया गया है। मिन 276 का कितना भाग खसरा नम्बर 614 में शामिल किया तथा कितना भाग खसरा न. 646 में शामिल किया गया, यह मिलान क्षेत्रफल

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
में अंकित नहीं है। हमारे विनम्र मत में इस स्थिति में यह स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता कि दौराने भू. प्रबन्ध प्रार्थीगण के रकबे में कमी की गई हो। प्रार्थीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि ख.नं. 646 किसके खाते दर्ज है, तथा मि. 276 की भूमि खसरा नं. 646 में क्यों शामिल की गई। साथ ही ना तो प्रार्थीगण और ना ही तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सन्निकटवर्ती खसरा नम्बरान के रकबे का तुलनात्मक विवरण और ना ही नक्शे का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है, जिससे यह प्रमाणित किया जा सके कि दौराने सेटलमेन्ट भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा कोई त्रुटिपूर्ण परिवर्तन किया गया हो। दौराने सेटलमेन्ट भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो इस बाबत बी. फाइल संधारित की जाती है। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु बी. फाइल भी प्रस्तुत नहीं की गई है।	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर
	उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय प्रार्थीगण के इस कथन से तो सहमत है कि सेटलमेन्ट से पूर्व प्रार्थीगण के खाते में 3.1 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड थी। तथा सेटलमेन्ट के पश्चात् हस्तगत प्रकरण में वर्णित खाते में 4.51 हैक्टेयर आराजी प्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। लेकिन हमारे विनम्र मत में प्रार्थीगण यह प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उनकी भूमि त्रुटिपूर्ण ढ़ंग से कम कर दी गई है। प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र बिना पूर्ण सूचना व बिना प्रमाणीकरण के प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण इस न्यायालय से न्याय की अपेक्षा तो करते हैं, लेकिन यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि न्यायालय ही प्रमाण एकत्रित करे। प्रार्थीगण अपनी प्रार्थना को प्रमाणित

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

करने में असफल रहे हैं। अतः
प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र
अन्तर्गत धारा 136 LR ACT-1956
बाबत इन्द्राज दुरुस्ती अस्वीकार कर
खारिज किया जाता है।
पत्रावली कैफियत शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

14/11/29

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा